बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9431818346, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव:- * राजचन्द वार्डियार
* अखिल कुमार

कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

दिनांक 2/1/2014

पत्रांक : 74

सेवा में,

मुख्य सचिव
बिहार सरकार, पटना।

विषयः- बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों का प्रोन्नति नहीं होने के संदर्भ में।

महाशय,

दिनांक-28.01.2010 को सवंर्गपुनर्गठन हुआ जिसे दिनांक-01.04.10 से लागू की गई। इसके पूर्व तक बिहार प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पदों की संख्या 2878 थी तथा कार्यरत बल लगभग 1600 की थी। पुनर्गठन के पश्चात् संवर्गीय पदों की संख्या घटकर 851 हो गयी है।

इस प्रकार बिहार प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन के पश्चात् करीब 800 अतिरेक (Surplus) सदस्य हो गए। वर्तमान में करीब 1230 पदाधिकारी कार्यरत है जो स्वीकृत बल 851 से करीब 400 अधिक है यह सभी अतिरिक्त पदाधिकारी मूल कोटि में है। मूल कोटि में स्वीकृत बल 313 के विरूद्ध दिनांक 11.11.13 को करीब 811 पदाधिकारी है। दिनांक-01.04.10 को पुनर्गठन लागू होने के उपरान्त 3 वर्ष 9 महीने बीत जाने के बाद भी मूल कोटि के एक भी पदाधिकारी को आज तक प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है। वर्तमान में मूल कोटि के पदाधिकारी की सेवा अवधि इस प्रकार है:-

बैच	सेवावधि वर्ष
36(20 अवशेष पदा0)	21
37	20
38	18
39	17
40	16
41	14
42	13

जबकि पुनर्गठन संकल्प में 18 वर्ष की सेवा अवधि के उपरान्त विशेष सचिव में प्रोन्नति देने का प्रावधान है जो निम्न प्रकार है:-

मूल कोटि से उप सचिव	- 5 वर्ष
उप सचिव से अपर समाहर्त्ता	- 5 वर्ष
अपर समाहर्त्ता से संयुक्त सचिव	- 5 वर्ष
संयुक्त सचिव से अपर सचिव	- 2 वर्ष
अपर सचिव से विशेष सचिव	- 1 वर्ष
कुल	- 18 वर्ष

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
★ सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9431818346, 9431479774

महासचिव,
★ सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- ★ सआदत हसन मिन्टो
★ राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव :- ★ राजयनन्द पाडियार
★ अनिल कुमार

कोषाध्यक्ष :- ★ चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष :- ★ विनोद आनन्द

पत्रांक :................................ दिनांक ....

वर्ष 2013 में सेवा के उच्चतर पदों यथा विशेष सचिव में 5 पद, संयुक्त सचिव में 58 पद रिक्ति उपलब्ध रहने के बावजूद भी नीचे के पदों पर कालावधि पूर्ण नहीं हो पाने के कारण इन रिक्तियों के विरूद्ध प्रोन्नति नहीं दी सकी जिससे मूल कोटि में Stagnation की समस्या बनी हुई है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि विशेष सचिव में प्रोन्नति हेतु अपर सचिव स्तर के पदाधिकारी एवं संयुक्त सचिव में प्रोन्नति हेतु अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी उपलब्ध है मात्र कालावधि में छूट देने की आवश्यकता थी।

पुनर्गठन की कंडिका 6 में वर्णित है कि **"बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों का संक्रमण अवधि में समस्यायें उत्पन्न हो सकती है। ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु माननीय मुख्यमंत्री प्राधिकृत होंगे"** के आलोक में कालावधि के स्थान पर need based promotion हेतु सेवा अवधि की गणना की जाए। तदनुसार कालावधि में छूट देने की आवश्यकता है। यह व्यवस्था तब तक के लिए रखे जाने की आवश्यकता होगी जब तक कि सेवा पुनर्गठन में निर्धारित कालवाधि सामान्य स्थिति में नही आ पाती है क्योंकि यह समस्या भविष्य में भी बनी रहेगी चूंकि जो पदाधिकारी 21, 20, 18, 17 की सेवा पूरी कर प्रथम प्रोन्नती पायेगे उन्हें अगली दूसरी प्रोन्नती के लिए अब से 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करनी होगी यानि दो प्रोन्नती के लिए उन्हें क्रमशः 31, 30, 28 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। संभव है कि इतनी लम्बी सेवा पूरी करने से पूर्व की कई पदाधिकारी सेवानिवृत हो जायेगें।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में संघ का अनुरोध है कि कालवाधि को सेवा अवधि मानी जाय और जो पदाधिकारी जिस पद हेतु निर्धारित अवधि की सेवा पूरी कर ली हो तो रिक्त रहने पर उनकी प्रोन्नती पर विचार किया जाय। संवर्ग पुर्नगठन के कंडिका (6) के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए समस्या का समाधान कराया जाय ताकि मूल कोटि से उप सचिव स्तर में प्रोन्नति हो सके।

सुशील 7/1/14

(सुशील कुमार)
महासचिव

(सुरेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष